प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 15 जून, 2017

विषय :- वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के दिनांक 01-01-2016 के उपरान्त के पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियां राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के अनन्तर, दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में शासनादेश संख्या-38/2016-सा-3-921/दस-2016-308/2016 दिनांक 23-12-2016 तथा दिनांक 01-01-2016 एवं उसके उपरान्त के राज्य सरकार के पेंशनरों की पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों के संबंध में शासनादेश संख्या-39 / 2016 - सा - 3 - 923 / दस - 2016 - 308/ 2016, दिनांक 23-12-2016 निर्गत किया जा चुका है तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/ प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं/ राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वशासी संस्थाओं के दिनांक 01-01-2016 के उपरान्त के पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन के संशोधन हेतु विभागीय आदेश निर्गत किये जाने के लिये वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा शासनादेश दिनांक 30-03-2017 निर्गत किया गया है।

2- दिनांक 30-03-2017 के उपर्युक्त शासनादेश में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का उल्लेख होने से छूट गया है।

3- इस संबंध में आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के शिक्षकों /शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों में वर्तमान व्यवस्थानुसार राजकीय कर्मचारियों से भिन्नता बनाये रखते हुये पेंशन पुनरीक्षण संबंधी आदेश निर्गत किये जाये। इस हेतु प्रस्ताव, शासनादेश के आलेख सहित संबंधित वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग को अविलम्ब प्रेषित किया जाये। प्रस्ताव का परीक्षण वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग द्वारा वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 एवं वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 से करा लिया जायेंगा।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव ।

संख्या-14/2017-सा-3-327(1)/दस-2017, तद्दिनांक

प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
2- निजी सचिव, सचिव, वित्त (श्री अजय अग्रवाल, श्री मुकेश मित्तल)
3- समस्त विशेष सचिव, वित्त को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कृपया अपने स्तर पर परीक्षण कर लें। वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 / वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 का आवश्यकतानुसार परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।